राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)(पदोन्नति)/2014–15/अलेसे–।।/ दिनांकः–12/7/17

आदेश संख्या 108 /2016–17

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2014–15) की सिफारिशों के आधार पर श्री रतन सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 210/94, लिंक नं. 2525) जन्म तिथि 06 जुलाई, 1969 (पात्रता सूची क्रमांक 632) जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियमों के नियम 16 के तहत जाँच लम्बित होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1(सी) 1565/जांच/2013/1787–1789 दिनांक 04.10.2016 द्वारा श्री रतन सिंह, कनिष्ठ लेखाकार को भविष्य में और अधिक सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त कर दिये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद की वेतन श्रृंखला 9300–34800 (पे बैण्ड –2), ग्रेड पे–4200/– में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री रतन सिंह (मेरिट सं. 210/94) की वरिष्ठता कुमारी मीना श्रीमाली (मेरिट सं. 209/94, पात्रता सूची क्रमांक 631) एवं श्री अजय सिंघल (मेरिट सं. 212/94, पात्रता सूची क्रमांक 633) के मध्य रहेगी।

श्री रतन सिंह को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन के वर्ष की अन्तिम तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री रतन सिंह, कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के उपरान्त आपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)(पदोन्नति)/2014–15/अलेसे–।।/710 दिनांकः–12/7/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक–III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे–II अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
8. श्री..सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–II कार्यालय................ ....।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(सांवरमल)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)

E:\sas-ii\KHANNA JI